फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ

प्रकरण संख्या 146/2022

उनवान

श्रीमती भगवती पुत्री केला पत्नी बीसा कौर नि. किरो कि. ना. पडिया, तह. हमीरगढ

बनाम

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण नि. लि. लेकर कॉलोनी भीलवाड़ा

धारा 151 पत्र 212 **प्रा0पत्र/राजस्व वाद**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
12-12-22	बाद जॉच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 22/12/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ 22/12/2022 पत्रावली नहीं हुआ उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य काय में व्यस्त/ अवकाश में है। पत्रावली साविक आदेश हेतु दिनांक 23-2-2023 को पेश हो। आदेश से पीठासीन पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा मा. देशिका पर Not Press अंकित किया गया जिसके आधार पर पत्रावली वापसी स्तर पर दोष किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः वकील प्रार्थी द्वारा मा. देशिका पर Not Press अंकित किये जाने से पत्रावली में किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। पत्रावली वापसी स्तर पर दोष किये जाने मात्र पारित कि जाती है। पत्रावली कैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ (राज.)	Not Press (Shwan) AEN-II (Leg) RVUNL